श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्तो की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 358 से 380, 384से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(जनवरी–जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./ पांच/2015/ 19975-20224........ दिनांक 27-5-2019 के अनुसार जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 301 रहा है। गत छ: माही का औसत 288 रहा था अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के 288 के उपर (301-288)=13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्द्धकुशल, कुशल एव उच्च कुशल श्रमिको के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये (25X13)=325.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है तदनुसार अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (301-241)=60 औसत बिन्दुओ की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25X60)=1500.00 प्रतिमाह या (1500÷26) रूपये 57.69 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (301-253)=48 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (48X25)=1200.00 प्रतिमाह या प्रतिदिन (1200÷26)=46.15 रूपये दिनांक 1.04.2019 से 30.09.2019 तक देय है। (अनुसूची अ,ब,स के लिए)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि–6/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची "क" के अनुसार निर्धारित करता हू ,जो दिनांक 1.04.2019 से 30.09.2019 तक देय है।

अनुसूची — अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
(दिनांक 1.10.2018 से 31.03.2019 तक)								(दिनांक 1.04.2019 से 30.09.2019 तक)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	875.00	33.65	7375.00	283.65	284.00	अकुशल	6500.00	250.00	1200.00	46.15	7700.00	296.15	296.00
7057.00	271.42	1175.00	45.19	8232.00	316.65	317.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	1500.00	57.69	8557.00	329.11	329.00
8435.00	324.42	1175.00	45.19	9610.00	369.65	370.00	कुशल	8435.00	324.42	1500.00	57.69	9935.00	382.11	382.00
9735.00	374.42	1175.00	45.19	10910.00	419.65	420.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	1500.00	57.69	11235.00	432.11	432.00

स्पष्टीकरण—

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253(2001=100)जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा। म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्र. एफ 4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 243 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू होगी। म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 10.6.2016 को जारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर श्रमिकों के वर्गीकरण को अद्यतन किया गया है। (सूची संलग्न)

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13(1)-ए)

27/05/19

(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

टीप :—न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट—अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट—ब में देखें।